REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.2331(UIF)
UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514
VOLUME - 7 | ISSUE - 2 | NOVEMBER – 2017

एक देश–एक चुनाव : वर्तमान में प्रासंगिकता

डॉ. मनीष कुमार साव
सहायक प्राध्यापक– राजनीतिविज्ञान,
शास.एम.एम.आर. स्नातकोत्तर महाविद्यालय, चांपा (छ.ग.)

निर्वाचन आधुनिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया का आधारभूत स्तंभ माना जाता है निर्वाचन को तो मतपत्र द्वारा क्रांति की संज्ञा दी जाती है। मालकम एक्स ने कहा है – ''एक सफल चुनाव किसी भी लोकतंत्र को बुलंदियों तक पहुँचा सकता है तो चुनाव की विफलता राष्ट्र को पतन के गर्त में ढकेल सकती है। हमें यह समझना आवश्यक होगा कि एक देश, एक चुनाव की अवधारणा की पृष्ठभूमि क्या है? एक लंबे समय से लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराये जाने के मसले पर बहस चल रही है। पूर्व में इस मसले पर चुनाव आयोग, नीति आयोग, विधि आयोग और संविधान समीक्षा आयोग द्वारा विचार किया जा चुका है।

पृष्ठभूमि–

एक देश एक चुनाव कोई अनुठा प्रयोग नही है आजादी के बाद देश में पहली बार 1951–52 में चुनाव हुए थे। तब लोकसभा चुनाव और सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव एक साथ कराए गए थे।
इसके बाद 1957, 1962 और 1967 में भी चुनाव एक साथ कराए गए। यह क्रम तब टूटा जब 1968–69 में कुछ राज्यों की विधानसभाएं विभिन्न कारणें से समय से पहले भंग कर दी गई। उल्लेखनिय है कि 1971 में लोकसभा चुनाव भी समय से पहले हो गये थे। वर्ष 1999 में विधि आयोग ने पहली बार अपनी रिपोर्ट में कहा कि लोकसभा और विधानसभा एक साथ होने चाहिए। वर्ष 2015 में कानून और न्याय मामलों की संसदीय समिति ने एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी। विश्व के 50 से अधिक देश जैसेइण्डोनेशिया, द. अफ्रीका, पोलैण्ड, बेल्जियम, स्वीडन आदि मे चुनाव एक साथ ही होते है।

भारत में एक देश एक चुनाव की जरूरत क्यो :

1} एक देश एक चुनाव सिर्फ चर्चा का विषय नही है बल्कि भारत की जरूरत है। वर्ष भर भारत में कहीं न कहीं चुनाव हो रहे है। इससे प्रशासन का ध्यान चुनाव पर केन्द्रित हो जाने से विकास कार्यो पर प्रभाव पड़ता है।
2} किसी भी जीवंत लोकतंत्र में चुनाव एक अनिवार्य प्रक्रिया है। स्वस्थ एवं निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की आधार शिला है। भारत जैसे विशाल तथा विविधता से भरे देश में निर्वाध और निष्पक्ष चुनाव कराना हमेशा से एक चुनौती रहा है।
3} चुनावों की निरंतरता के कारण देश हमेशा चुनावी मोड़ में रहता है। इससे नकेवल प्रशासनिक और नीतिगत निर्णय प्रभावित होते है बल्कि देश के खजाने पर भारी बोझ भी पड़ता हैं इस सबसे बचने के लिए नीति

निर्माताओं ने लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराने का विचार बनाया।

4} गौरतलब है कि देश में इनके अलावा पंचायत और नगरपालिकाओं के चुनाव भी है किन्तु एक देश एक चुनाव में इन्हे शामिल नही किया जाता किन्तुइन सबसेइसकी सार्थकतासिद्ध नही होती, इसके लिए हमें इसके पक्ष और विपक्ष में दिये गए तर्कों का विश्लेषण करना आवश्यक होगा।

एक देश एक चुनाव के पक्ष में तर्क –

1} वित्तीय संसाधनों की बचत–

एक साथ चुनाव होने पर देश में बार–बार चुनावों में होने वाले भारी खर्च में कमी आएगी। बार–बार चुनाव होते रहने से सरकारी खजाने पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है। चुनाव पर होने वाले खर्च में लगातार हो रही वृद्धि इस बात का सबूत है कि यह देश की वित्तीय स्थिति के लिए ठीक नही है। 16 वीं लोकसभा चुनाव में एक अनुमान के अनुसार 60 हजार करोड़ से अधिक का खर्च आया और लगभग 3 महीने तक देश चुनाव मोड़ में रहा। इस तरह से एक वोट पर औसतन 700 रूपये तथा प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में 100 करोड़ रूपये खर्च हुए।

2} योजनाओं और निर्णयों का जमीनी क्रियान्वयन–

एक देश एक चुनाव के पक्ष में कहा जाता है कि यह विकासोन्मुखी विचार है। लगातार चुनावों के कारण देश में बार–बार आदर्श संहिता लागू करनी पड़ती है। इसकी वजह से सरकार आवश्यक निर्णय नही ले पाती और विभिन्न योजनाओं को लागू करने में समस्या आती है। इसके कारण विकास कार्य प्रभावित होते है।

3} आदर्श आचार संहिता का प्रभावी अनुपालन–

निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव अधिसूचना जारी करने के बाद सत्ताधारी दल के द्वारा किसी परियोजना की घोषणा, नई योजना तथा कल्याणकारी कार्यक्रम के वित्तीय मंजूरी और नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक रहती है। इसके पीछे निहित उद्देश्य यह है कि सत्ताधारी दल को चुनाव में अतिरिक्त लाभ न मिल सके। इसलिए यदि देश में एक ही बार में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं का चुनाव कराया जाए तो आचार संहिता कुछ ही समय तक लागू रहेगी और इसके बाद विकास कार्यो को निर्बाध पूरा किया जा सकेगा।

4} काले धन एवं भ्रष्टाचार पर रोक–

यह किसी से छीपा नही है कि चुनावों के दौरान राजनीतिक दलो और प्रत्याशियों द्वारा काले धन को खुलकर इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि देश में प्रत्याशियों द्वारा चुनावों में किये जाने वाले खर्च की सीमा निर्धारित की गई है, किन्तु राजनीतिक दलों द्वारा किये जाने वाले खर्च की कोई सीमा निर्धारित नही की गई है। राजनितिक दल अलग–अलग चुनाव में मनमाफिक खर्च कर रहे होते है।

5} सामाजिक सौहाद्र तथा भाईचारे बनाए रखने में–

लगातार चुनाव होते रहने से चुनाव प्रचारक तथा स्थानीय कार्यकर्ता अपनी–अपनी पार्टियों को समर्थन तथा दूसरे पार्टियों का विरोध करने के कारण परस्पर वैमनस्य स्थापित कर लेते है। लगातार चुनाव होते रहने से राजनेताओं और पार्टियों को सामाजिक समरसता भंग करने का मौका मिल जाता है। जिसकी वजह से अनावश्यक तनाव की परिस्थितियां बन जाती है। एक साथ चुनाव कराये जाने से इस प्रकार की समस्याओं से निजात पाई जा सकती है।

6} जन भागीदारी में वृद्धिः–

विशलेषकों का मानना है कि मतदाता लोकसभा एवं विधानसभा के बार–बार चुनाव होने के कारण चुनाव के प्रति व्यक्तिगत रूचि नही लेते। एक साथ चुनाव कराने पर इस कार्य में मन से भागीदार बनेंगे जिससे संभवतः वोट प्रतिशत बढ़ेगा।

7} मानव संसाधन का अनुचित उपयोग–

अलग–अलग चुनाव के दौरान सरकारी कर्मचारियों और सुरक्षा बलों के साथ–साथ शिक्षको, पुलिस के जवानों को बार–बार चुनावी ड्युटी पर लगाई जाती है। जिससे उन्हे अन्य प्रशासनिक कार्यो को करने में असुविधा उत्पन्न होती है। इस कारण से वे अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से नही कर पाते है।

एक देश एक चुनाव के विरोध में तर्क–

1} भारत में विशाल जनसंख्या का होना–

भारत की जनसंख्या लगभग 1 अरब 30 करोड़ है यह विश्व का दूसरा बड़ा जनसंख्या वाला देश है इस कारण से लोकसभा व विधानसभा चुनाव एक साथ कराना संभव नही।

2} आधारभूत संरचना की कमी–

विशाल आबादी तथा विकासशील देशों की मूल समस्या आधारभूत संसाधनों की कमी है। भारत में अब तक बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। अतः एक साथ चुनाव कराना संभव नही है।

3} राज्य एवं राष्ट्रीय मुद्दों का अलग होना–

राज्य एवं राष्ट्रीय मुद्दे, समस्या तथा विचार अलग–अलग हो सकते है। इन्ही विचारधारा के आधार पर चुनाव लड़े जाते है। एक साथ चुनाव करने पर स्थानीय मुद्दों की अनदेखी होगी तथा राष्ट्रीय मुद्दे हावी हो जायेंगें।

4} क्षेत्रीय पार्टी के अस्तित्व को खतरा–

भारत में बहुदलीय प्रणाली मौजूद है राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ने के कारण स्थानीय पार्टियों की विचारधारा प्रभावित हो सकती है और उन्हे अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिए जद्दोजहद करनी होगी।

5} भारत का संसदीय चुनाव प्रणाली–

संविधान में हमें संसदीय मॉडल के अनुसार कार्य करना होता है सरकारे पॉच वर्ष के लिए चुनी जाती है। एक साथ चुनाव कराने पर हमारा संविधान मौन है। भारत की संविधान में केन्द्र राज्य संबंधों पर विस्तृत वर्णन किया गया है जैसे–

अनुच्छेद 2–संसद द्वारा किसी नये राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया जाना
अनुच्छेद 3–संसद द्वारा किसी नये राज्य का गठन
अनुच्छेद 85 (2)– ख– राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग करना।
अनुच्छेद 174 (2) ख–राज्यपाल द्वारा विधानसभा को समय पूर्व भंग करना।
अनुच्छेद 352– युद्ध बाहद्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल
अनुच्छेद 356– संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन।
उक्त समस्त परिस्थितियों में लोकसभा/विधानसभा को समय से पूर्व भंग किया जा सकता है अथवा उनकी समयावधि बढ़ाई जा सकती है। उन परिस्थितियों में बार–बार अव्यवस्था की स्थिति पैदा होगी।

6} भारत का संघात्मक संविधान :–

एक देश एक चुनाव संघीय ढांचे के विपरित तथा संसदीय लोकतंत्र के लिये घातक कदम होगा। संघ के इच्छानुसार लोकसभा/विधानसभा का कार्यकाल बढ़ाना या घटाना राजनीति से प्रेरित हो सकता है। फलस्वरूप अव्यवस्था की स्थिति निर्मित हो सकती है।

7} जनप्रतिनिधियों का जवाबदेह होना –

लोकसभा/विधानसभा चुनाव अलग–अलग होने पर जनप्रतिनिधि जनता के प्रत्येक संपर्क में होते है जिससे उनकी जवाबदेयता बनी रहती है। स्थानीय जन इन दिनों नेताओं से संपर्क कर अपने समस्या का निवारण कराते है। एक साथ चुनाव कराने पर चुनाव के बाद जन प्रतिनिधियों का जनता से संपर्क लगभग टूट सा जायेगा।

एक साथ चुनाव कराने की चुनौती –

1. अधिक धन की आवश्यकता– भारत में चुनाव काफी मंहगी है एक सर्वे के अनुसार भारत ने एक राज्य की चुनाव लगभग 20 हजार करोड़ तथा लोकसभा चुनाव में लगभग 60 हजार करोड़ की आवश्यकता होती है। एक साथ चुनाव कराने पर इससे अधिक धन की आवश्यकता होगी। वर्ष 2014 में लोकसभा चुनाव में 30 हजार करोड़ रूपये खर्च हुए जो मात्र 5 वर्षो में बढ़कर दोगुना हो गया।
2. संसाधन की आवश्यकता– भारत में चुनाव में मानवीय संसाधन के रूप में आवश्यक सेवाओं के कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सभी अर्द्ध सैनिक बल निर्वाचन अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगानी पड़ी।
3. तकनीकी संसाधन की आवश्यकता– चुनाव कार्य मे **EVM**तथा वाहनों के आवश्यकता होती है। लॉ कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार एक साथ चुनाव कराने पर 4500 करोड़ की नई **EVM** आवश्यकता होगी।
4. प्रत्येक **EVM** और **VVPAT** मशीनों को सुरक्षित रखना भी एक चुनौती हो गई है क्योंकि निर्वाचन आयोग वर्तमान में इन्हे सुरक्षित रखने की समस्या से जूझ रहा है।
5. संविधान में संशोधन की आवश्यकता– एक साथ चुनाव कराने हेतु संविधान में संसोधन के साथ–साथ राज्यों को भी विधानसभा में इस तरह का प्रस्ताव पास कराना होगा।
6. जनप्रतिनिधी कानून में संसोधन की आवश्यकता– जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 2 में आवश्यक संसोधन कराकर एक साथ चुनाव कराए जा सकता है।

निष्कर्ष –

एक देश एक चुनाव अवधारणा कोई नई अवधारणा नही हैं भारत में इससे पूर्व भी एक साथ चुनाव होते रहे है। संघ, राज्य, जनप्रतिनिधियों तथा राजनैतिक दलों को आपसी विचार विमर्श तथा व्यक्तिगत स्वार्थों को दूर रखकर एक साथ चुनाव कराने की कमियों तथा समस्याओं पर विचार करना होगा। व्यापक चुनाव सुधार अभियान चलाने हेतु राजनैतिक जागरूकता तथा समावेशी लोकतंत्र की स्थापना हेतु एक देश एक चुनाव की अवधारणा को साकार रूप दिया जा सकता है। जब देश में एक देश एक कर (GST)लागू हो सकता है तो एक देश चुनाव क्यों नही ? यह यक्ष प्रश्न आज भी हमारे सामने खड़ा है।

संदर्भ सूची :–

1} फड़िया बी.एल. एवं जैन पुखराज, 'भारतीय शासन एवं राजनीति' साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा 2010
2} गेना सी.बी. तुलनात्मक राजनीतिक संस्थाएँ 'विकास पब्लिकशिंग हाऊस प्रा.लि.नई दिल्ली'।

3} शर्मा अशोक ''भारत में लोकतंत्र और निर्वाचन'' अनुसंधान व विषयअध्ययन संस्थान, जयपुर 1994
4} कश्यप सुभाष, 'भारत में निर्वाचन समस्याएँ और सुधार' रिसर्च नई दिल्ली 197
5} कोठारी रजनी '' पार्टी सिस्टम एण्ड इलेक्शन स्टडीज रिसर्च बाम्बे 196
6} सिंह प्रभा प्रसाद Politics and Voilence in India अमर प्रकाशन दिल्ली 1989
7} सिंघवी डॉ. लक्ष्मीमल, ''भारत के निर्वाचन और सुधार'' रिसर्च पब्लिकेशन दिल्ली 1972
8} शर्मा डॉ. पी.डी., ''प्रजातंत्र चुनौतियाँ और उत्तर'' कालेज बुकडिपो जयपुर 1996